*एस. एस. संधवालिया, सी. जे. और एस. एस. कांग, जे.*

प्रेम सिंह मलिक और अन्य-याचिकाकर्ता

*बनाम*

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता।

*1974 की सिविल रिट* याचिका *संख्या* 3901

4 अगस्त, 1980।

*पंजाब कृषि सेवा (वर्ग II) नियम* 1947-नियम *3,5,6* और परिशिष्ट ए-परिशिष्ट *'ए' का भाग 3 सरकार को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा में अधिक पद बनाने का अधिकार* देता *है-ऐसे नव सृजित पद-चाहे वे नियमों द्वारा शासित* हों-पदोन्नति *के लिए अनुभव की अतिरिक्त योग्यता निर्धारित करने वाले निष्पादन निर्देश-ऐसे निर्देश-चाहे वे नियमों का उल्लंघन करते हों।*

*पंजाब* कृषि *सेवा* वर्ग II नियम, 1947 के परिशिष्ट ए के भाग III के अनुसार, राज्य सरकार को कुछ स्थितियों को पूरा करने के लिए वर्ग II सेवा में अस्थायी पद बनाने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार ये पद नियमों द्वारा शासित हैं।(पैरा 7)।

*माना* जाता है कि नियम 5 के उप-नियम (बी) में उल्लिखित प्रवीणता विज्ञान या विषय की किसी विशेष शाखा में डिग्री या डिप्लोमा को संदर्भित करती है जो किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है।"प्रवीणता" शब्द के उपयोग से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी के दिमाग में कोई व्यावहारिक अनुभव था।जहां राज्य कार्यकारी निर्देशों द्वारा पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, ऐसे निर्देश नियमों का उल्लंघन करते हैं।(पैरा 9)।

*भारत के संविधान* के अनुच्छेद *226 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है* कि प्रत्यर्थी *को निर्देश देते हुए सरशियोरेराई, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या* आदेश जारी किया जाए:—

(i) *मामले का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना;*

(ii) *संलग्नक पी-4 में आदेश* को *रद्द कर दिया जाए;*

(iii) *यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता सिविल रिट याचिका संख्या 2435/1972 के निर्णय से बाध्य नहीं हैं* और *यह कि वर्तमान मामले में वास्तव में लागू निर्णय सिविल रिट याचिका संख्या 1008/1009 में है।*

(iv) *यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे और वरिष्ठता, वेतन अवशिष्ट आदि की प्रकृति में सभी परिणामी राहत प्रदान करे।*

(v) *यह आगे प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के निपटारे तक, संलग्नक पी-4 में आदेश के कार्यान्वयन/संचालन पर* रोक लगाई *जाए;*

(vi) *इस याचिका का खर्च भी याचिकाकर्ताओं को दिया जाए।*

आर. एस. मोंगिया, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से।*

राज्य के लिए यू. डी. गौर, *ए. जी., हरियाणा।*

न्याय

*सुखदेव सिंह कांग, जे.*

(1) चूंकि 1967 की सिविल रिट याचिका संख्या-2440of,1967 की 3901of ,सन् 1974 की 4035 of 1974 की 4101of 1974 में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव है।

(2) ये रिट याचिकाएं शुरू में जे. गोयल के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 'तेजा सिंह संधू बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' (1) और 'मनमोहन सिंह *अहलावत बनाम हरियाणा* राज्य *और अन्य' (2) ए में* इस अदालत के *दो फैसलों के* बीच *एक स्पष्ट संघर्ष था और इन* दोनों फैसलों का वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए विवाद पर कोई असर नहीं है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामलों को खण्ड पीठ में भेजने के लिए मेरे लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।इस तरह ये याचिकाएं हमारे सामने आई हैं।

(3) इस स्तर पर तथ्यों का एक थंब-नेल स्केच उपयुक्त होगाः

*1974 की सिविल याचिका* संख्या *3901* में◌ःयाचिकाकर्ताओं को एक वर्ग में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था

III पंजाब कृषि में सेवा

(1) 1969 का सी. डब्ल्यू. 1008 18 मई, 1970 को तय किया गया।
(2) 1972 का सी. डब्ल्यू. 2543 18 मई, 1970 को तय किया गया।
11974 S.L-W.R. 258)।

संयुक्त पंजाब के पुनर्गठन से पहले विभाग।तृतीय श्रेणी सेवा के सदस्य पंजाब कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। द्वितीय श्रेणी की सेवा में भर्ती पंजाब कृषि सेवा (द्वितीय श्रेणी) नियम, 1947 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाता है) द्वारा नियंत्रित होती है।

(4) नियम 3; आपके नियमों में से 1 में सिद्धांत ई. एफ. ओ. अति.लो.अभि. और पदों की प्रकृति का उल्लेख किया गया है-सेवा में विभिन्न पदों को नियमों के परिशिष्ट 'ए' में निर्दिष्ट किया गया है।फिर भी सरकार को परिशिष्ट 'ए' के भाग III द्वारा कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा में अन्य पद बनाने का अधिकार दिया गया है।नियमों का नियम 5 नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है।नियम 5 का उप-नियम (बी) हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है और यह निम्नानुसार हैः—

*"नियम* 5.—किसी भी व्यक्ति को सेवा का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगाः—

(a)

(b) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नहीं है, जब तक कि वह (i) 22 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम आयु का न हो; (ii) विज्ञान की उस विशेष शाखा या विषय में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री प्राप्त कर चुका हो, जिसमें किसी उम्मीदवार को उस विशेष वैज्ञानिक या तकनीकी पद के लिए प्रवीणता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे भर्ती किया जाना है, (iii) अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्थान के प्राचार्य, विद्या सम्बन्धी अधिकारी से चरित्र का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और दो जिम्मेदार व्यक्तियों से चरित्र का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया हो, जो उसके रिश्तेदार नहीं हैं, जो निजी जीवन में उससे अच्छी तरह से परिचित हैं और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्थान से असंबद्ध हैं।

नियम 6 भर्ती के लिए विधि निर्धारित करता है।नियमों के नियम 6 का उपखंड 3 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

> "अधीनस्थ सेवा से पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति सख्त चयन द्वारा की जाएगी और अधीनस्थ सेवा के किसी भी सदस्य को ऐसी नियुक्ति के लिए नहीं चुने जाने के कारण या अधिकार के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए कोई दावा करने के कारण उसकी पदोन्नति रोक दी गई नहीं मानी जाएगी।"

याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि पंजाब के राज्यपाल ने आदेश जारी किए जिनके द्वारा सेवा में बनाए गए पदों के लिए योग्यता और अनुभव आदि निर्धारित किए गए थे, लेकिन परिशिष्ट 'ए' में विशेष रूप से गणना नहीं की गई थी।संयुक्त पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद, हरियाणा सरकार ने 30 मार्च, 1971 को आदेश जारी किए, जिसमें हरियाणा कृषि सेवा वर्ग II (मृदा संरक्षण अनुभाग) में पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया था।उसी की एक प्रति इस याचिका के साथ संलग्न की गई है।इस आदेश द्वारा मृदा संरक्षण कार्यों के डिजाइन और निष्पादन पर दो साल का क्षेत्र अनुभव निर्धारित किया गया है, साथ ही मृदा संरक्षण में शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण भी निर्धारित किया गया है।

(5) मृदा संरक्षण खंड में कुछ रिक्तियां पैदा हुईं।1972 में इन पदों के लिए तृतीय श्रेणी सेवा में अपने अन्य सहयोगियों के साथ याचिकाकर्ताओं पर विचार किया गया था।याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था, लेकिन कुछ व्यक्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जो हालांकि तृतीय श्रेणी की सेवा में याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ थे, फिर भी उनके पास मृदा संरक्षण कार्यों के डिजाइन और निष्पादन पर दो साल का अनुभव नहीं था।तब से याचिकाकर्ता इन पदों पर बने हुए हैं।चूंकि 1947 में नियमों की घोषणा के समय राज्य द्वारा मृदा संरक्षण का काम नहीं किया गया था, इसलिए मृदा संरक्षण खंड में पदों का सृजन नहीं किया गया था।इन्हें बाद में बनाया गया था और इस कारण से परिशिष्ट 'ए' में इनका उल्लेख नहीं मिलता है।इस कारण से, सरकार को द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए कहा गया था, जिसका उल्लेख कार्यकारी निर्देशों द्वारा परिशिष्ट 'ए' में नहीं किया गया था।पुनर्गठन के बाद, हरियाणा राज्य द्वारा 30 मार्च, 1971 के

आदेशों के रूप में इसी स्थिति को दोहराया गया है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, योग्यता निर्धारित करने वाला आदेश किसी भी तरह से वैधानिक योग्यताओं को निरस्त, परिवर्तित या जोड़ता नहीं है।यह केवल वैधानिक प्रावधानों का पूरक है और कमियों को भरने के लिए जारी किया गया है।

(6) इस बीच, मनमोहन सिंह अहलावत ने इस न्यायालय में 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 2543 दायर की, जिसमें हरियाणा कृषि सेवा वर्ग II के अधिकारियों की योग्यता में वृद्धि करने के राज्य सरकार के अधिकार को चुनौती दी गई। इस रिट याचिका की अनुमति दी गई थी।इस निर्णय के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल ने याचिकाकर्ताओं सहित *45* अधिकारियों को वापस भेज दिया, उनके आदेश, दिनांक 22 जुलाई, 1974 के तहत याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती दी है।तथ्यों में समान हैं

1974 की सिविल रिट याचिका संख्या 4035 और 4101में अंतर केवल इतना है कि याचिकाकर्ता तारा सिंह को 1974 की सिविल रिट याचिका संख्या 4035 में सहायक पादप संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता ईश्वर सिंह को 1974 की सिविल रिट याचिका संख्या-4101 में कृषि अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था।1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 2440 में, याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय श्रेणी में निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती दी है। इन प्रत्यर्थियों को पहले तब हटा दिया गया था जब याचिकाकर्ताओं को द्वितीय श्रेणी में नियुक्त किया गया था।

(7) याचिकाकर्ताओं के लिए अभिवक्ता ने तर्क दिया है कि हालांकि जिन पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, वे हरियाणा कृषि सेवा वर्ग II में हैं, फिर भी वे नियमों द्वारा शासित नहीं हैं, क्योंकि उनके पद परिशिष्ट 'ए' में शामिल नहीं हैं।उनकी सेवा की शर्तें कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित होती हैं जिनके द्वारा इन पदों के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा शैक्षिक और अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई थीं।उनके विवाद में कोई दम नहीं है।राज्य सरकार को परिशिष्ट 'ए' के भाग III द्वारा कुछ स्थितियों से निपटने के लिए द्वितीय श्रेणी की सेवा में अस्थायी पद बनाने का अधिकार दिया गया है।ये पद जिन पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे और ये नियम इन पदों पर आसीन लोगों पर लागू होते हैं।याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के पत्रों से पता चलता है कि उन्हें हरियाणा कृषि सेवा वर्ग II में नियुक्त किया गया था-यह सेवा नियमों द्वारा शासित है।इसलिए, नियम याचिकाकर्ताओं पर भी लागू होते हैं।

(8) तब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि जिन कार्यकारी निर्देशों द्वारा अनुभव के विभिन्न कार्यकालों की योग्यता निर्धारित की गई है, वे किसी भी तरह से वैधानिक नियमों को निरस्त, परिवर्तित या संशोधित नहीं करते हैं।ये निर्देश केवल नियमों के पूरक हैं।वे इन नियमों में कमियों को भरने के लिए हैं।इसलिए, राज्य ने याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करते समय इन निर्देशों द्वारा निर्धारित मानदंडों का उचित रूप से पालन किया था। तृतीय श्रेणी की सेवा में याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ व्यक्ति, लेकिन कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित व्यावहारिक अनुभव के बिना, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए अयोग्य थे और उनकी उचित रूप से उपेक्षा की गई थी।राज्यपाल द्वारा उन्हें वापस करने के लिए पारित आदेश पूरी तरह से अवैध हैं -

(9) याचिकाकर्ताओं को द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नत किया गया और छह महीने की *अवधि तदर्थ* तदर्थ आधार पर विभिन्न पदों पर तैनात किया गया -

वास्तव में उन्हें नियमित रूप से पदोन्नत नहीं किया गया था।इसलिए याचिकाकर्ताओं को किसी भी समय वापस भेजा जा सकता है।प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया गया है क्योंकि द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए कार्यकारी निर्देशों द्वारा अनुभव की योग्यता निर्धारित करने की शर्त को इस न्यायालय द्वारा मनमोहन सिंह अहलावत *के मामले (उपरोक्त) में* रद्द कर दिया गया है।याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत किया गया था और अनुभव की इस स्थिति के कारण तृतीय श्रेणी की सेवा में उनके वरिष्ठों की उपेक्षा की गई थी।

(10) याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि निष्पादन निर्देशों ने नियमों में कुछ भी नहीं जोड़ा है।कार्यकारी निर्देश केवल नियमों के नियम 5 के उद्देश्य को अधिक स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से बताते हैं।नियमों के नियम 5 के उप-नियम (बी) में "जिसमें प्रवीणता की आवश्यकता है" शब्द इंगित करते हैं कि उप-नियम के पहले भाग में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताएँओं के अलावा, राज्य इस बात पर जोर दे सकता है कि सेवा के उम्मीदवार उस विशेषता में निपुण होने चाहिए जिसमें पद आता है।विद्वान अधिवक्ता द्वारा उप-नियम (बी) के लिए दी गई व्याख्या तार्किक नहीं है।इस नियम में प्रवीणता विज्ञान या विषय की किसी विशेष शाखा में डिग्री या डिप्लोमा को संदर्भित करती है जो किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है।"प्रवीणता" शब्द के उपयोग से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी के दिमाग में कोई व्यावहारिक अनुभव था।जोगिंदर सिंह *ग्रेवाल बनाम पंजाब* राज्य *और अन्य (3) के मामले में* अनुभव की शर्त को रद्द कर दिया गया था।जोगिंदर सिंह ग्रेवाल पंजाब कृषि सेवा के द्वितीय श्रेणी के थे।इस सेवा के सदस्य कृषि सेवा वर्ग I में पदोन्नति के लिए पात्र थे। वैधानिक नियमों ने इस सेवा में भर्ती को नियंत्रित किया।उन्होंने शैक्षणिक योग्यताएँ आदि निर्धारित की। हालाँकि, उन्होंने अनुभव की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की।कार्यकारी निर्देशों द्वारा, राज्य ने एम. एससी. की शैक्षणिक योग्यताएँ निर्धारित की। कृषि और प्रथम श्रेणी में पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के रूप में कृषि अनुसंधान या विस्तार में कम से कम पांच साल का व्यावहारिक अनुभव। जोगिंदर सिंह ग्रेवाल के पास वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताएँ थीं।हालाँकि, उनके पास कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित पाँच साल का अनुभव नहीं था।उन्हें पहली कक्षा में नियुक्त नहीं किया गया था. कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले दूसरी कक्षा में उनके कनिष्ठों का चयन किया गया और उन्हें पहली कक्षा में पदोन्नत किया गया। उन्होंने आदेशों और कार्यकारी निर्देशों को चुनौती दी-ए. एन. ग्रोवर, जे. (तब उनके लॉर्डशिप के रूप में संदर्भित)

मामले को निर्णय के लिए खण्ड पीठ के पास भेजा गया, संदर्भ आदेश में यह देखा गया थाः—

> "मेरा विचार है कि चूंकि प्रथम श्रेणी के नियमों में ऐसी कोई सीमा या योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए कार्यकारी सरकार नियमों में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है या कोई विशेष योग्यता निर्धारित करके उन्हें जोड़ नहीं सकती है।"

खण्ड पीठ ने इन टिप्पणियों की पुष्टि की और आगे कहाः—

> "'योग्यता' शब्द में योग्यता निर्धारित करना शामिल नहीं है।यदि ऐसा था, तो सरकार के लिए 24 अप्रैल, 1959 का पत्र जारी करना शायद ही आवश्यक था।उस समय, जब याचिकाकर्ता ने सेवा में प्रवेश किया, 1947 के नियमों ने इस क्षेत्र को संभाला।कार्यकारी निर्देशों द्वारा किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

इसी तरह के सवाल उत्तम सिंह *बनाम पंजाब* राज्य *और अन्य* (4) *के मामले में* भी उठे।राज्य कार्यकारी निर्देशों द्वारा पदोन्नति के उद्देश्य से न्यूनतम पांच साल का अनुभव निर्धारित करता है, हालांकि वैधानिक नियमों में ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी।इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया था और इसे तुली, जे द्वारा देखा गया था।—

> "सेवा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।उच्च पद के लिए योग्यता का निर्धारण केवल सेवा की अवधि के आधार पर नहीं किया जा सकता है।यह अनिवार्य रूप से उस पद के पदधारी की योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसे पदोन्नत किया जाना है।यह कोई असामान्य घटना नहीं है कि बहुत कम अनुभव वाला अधिकारी लंबे अनुभव वाले अधिकारी की तुलना में कहीं अधिक सक्षम होता है और यदि चयन सही मानदंड पर किया जाना है, तो उम्मीदवार के प्रदर्शन को किसी विशेष पद पर उसकी सेवा की अवधि के बजाय माना जाना चाहिए।

इन मामलों को मनमोहन सिंह *अहलावत के मामले (ऊपर)* में देखा गया था और यह डब्ल्यू; जैसा कि संधवालिया, जे. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था (जैसा कि मेरे प्रभु उस समय मुख्य न्यायाधीश थे):

> "नियम 5 और 6 के उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों के स्पष्ट संदर्भ से यह स्पष्ट है कि नियम बनाने वाली संस्था ने द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नती के माध्यम से योग्यताओं के निर्धारण और चयन के तरीके के बारे में विज्ञापित किया गया।

फिर भी अधीनस्थ सेवा में द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा किसी विशेष प्रकार के पद पर कोई विशेष प्रकार का अनुभव या कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए वैधानिक नियमों और कार्यकारी निर्देशों आर–1 के प्रासंगिक भाव के बीच संघर्ष और असंगतता स्पष्ट है। याचिकर्ता के मामले से संबंधित अनुवंध आर–1 का प्रासगिंक भाव वह करना चाहता है जो वैधानिक प्रावधानों से नहीं किया है। इसलिए कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से, नियमों में संशोधन या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है या किसी भी मामले में विशेष योगयताएं निर्धारित करके उन्हें खारिज करने का प्रयास किया जाता है। जहां कोई भी योग्यता मौजुद नहीं थी।

मैंने योग्यता के **प्रिस्क्रिप्शन** और कक्षा II सेवा में पदोन्नति के माध्यम से चयन के तरीके को अपनाया।फिर भी **किसी** विशेष में कोई विशिष्ट प्रकार का अनुभव या कार्यकाल की अवधि नहीं है।अधीनस्थ सेवा से **द्वितीय** श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के उद्देश्य से नियमों द्वारा एक **प्रकार** का पद निर्धारित किया गया था।इसलिए, सांविधिक नियमों और इसके प्रासंगिक भाग के बीच संघर्ष और असंगति

!कार्यकारी निर्देश आर-एल स्पष्ट हैं।संलग्नक आर-एल का प्रासंगिक भाग जो **याचिकाकर्ता** के मामले से संबंधित है, वही करने का विकल्प चुनता है जो वैधानिक **प्रावधानों** में नहीं **था।किया।इसलिए**, कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से, नियमों में संशोधन या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है या किसी भी मामले में विशेष **योग्यता** निर्धारित करके उन्हें रद्द करने का प्रयास किया जाता है जहां कोई भी **योग्यता** मौजूद नहीं थी।"

कार्यकारी निर्देशों द्वारा **निर्धारित** न्यूनतम अनुभव की शर्त को रद्द कर दिया गया **था।वर्तमान** मामला पूरी तरह से मनमोहन सिंह अहलावत के मामले *(उपरोक्त) के अनुपात में* आता है और वास्तव में इस निर्णय के अनुपालन में प्रत्यावर्तन का विवादित आदेश पारित किया गया है।

(11) अंत में, तेजा सिंह संधी के मामले (ऊपर) *पर याचिकाकर्ता राहत के* लिए **विद्वान** अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि उसके अंतिम पैराग्राफ में टिप्पणियां मनमोहन सिंह अहलावत *के मामले (ऊपर) में* अनुपात के विपरीत थीं।याचिकाकर्ता के लिए विद्वान **अधिवक्ता** का यह निवेदन निराधार **प्रतीत** होता है।यह स्मरण करने योग्य है *कि तेजा सिंह संधू* के मामले (उपरोक्त) में, मूल चुनौती विषय-वस्तु विशेषज्ञ (पादप संरक्षण), सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी और सहायक विपणन अधिकारी जैसे विशेष पदों पर तीन निजी प्रतिवादी की पदोन्नति के लिए थी।फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की ओर से हमले के गम्भीर कारण दोहरे आधार पर थे। **वरिष्ठता** और विचार की कमी ।इन दोनों आधारों को इस निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था कि चूंकि इन पदों को चयन द्वारा भरा जाना था, इसलिए केवल वरिष्ठता ही **याचिकाकर्ता** को इसमें नियुक्ति का हकदार नहीं बनाएगी और आगे यह कि याचिकाकर्ता के नाम पर सभी चरणों में पूरी तरह से विचार किया गया था।अंत में, **याचिकाकर्ता** के वकील ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि जिन तीन पदों के लिए प्रतिवादी की नियुक्ति **की** गई थी, उनकी योग्यताएं मनमाने ढंग से भिन्न थीं।यह स्पष्ट रूप से खड़ा है

निर्णय में देखा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से, प्रासंगिक नियम या यहां तक कि एक सरकारी निर्देश के किसी भी हिस्से को इंगित नहीं किया जा सकता है जो प्रतिवादी द्वारा आयोजित विशिष्ट तीन पदों पर पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, जो चुनौती के तहत थे।चूँकि तीन विशिष्ट पदों के लिए कोई निर्धारित वैधानिक योग्यता बिल्कुल भी इंगित नहीं की जा सकती थी, इसलिए, उनमें किसी भी मनमाने बदलाव का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था।

(12) एनियमों में अनुभव की किसी भी आवश्यकता का कम से कम उल्लेख नहीं किया गया था।यह वही था जिसे वैधानिक नियमों के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन तेजा सिंह संधू के मामले (ऊपर) में यह स्थिति या मामला दूर तक भी नहीं था।इसके अलावा नोटिस की आवश्यकता यह है कि नियमों का नियम 5 (बी) (ii) केवल किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के डिप्लोमा या डिग्री की बुनियादी विद्या सम्बन्धी योग्यता को निर्धारित करता है, लेकिन विज्ञान या विषय की उस विशेष शाखा को निर्धारित नहीं करता है जिसमें किसी विशिष्ट वैज्ञानिक या तकनीकी पद के लिए प्रवीणता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सेवा के सदस्य की भर्ती की जानी है।इसलिए, सेवा में किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए विशिष्ट विशेषता योग्यता को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जा सकता है।

(13) इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि एक करीबी विश्लेषण पूर्ववर्ती के टकराव का खुलासा नहीं करता है *और तेजा सिंह संधू (ऊपर)* का मामला मनमोहन सिंह अहलावत *के मामले (ऊपर) से* स्पष्ट रूप से अलग है, जिसका अनुपात वर्तमान को नियंत्रित करता है।

(14) कोई अन्य विवाद नहीं उठाया गया था और उपरोक्त चर्चा के आलोक में, रिट याचिकाएं योग्यता के बिना हैं और लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती हैं।

एस. *एस. संधवालिया, सी.* जे.-मैं सहमत हूँ।

*एच, एस. बी.*

*अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

***Translator***

***Pooja Rani***